

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

नेरम कुमार बनाम बलवीर सिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 296/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील पुनम चंद बजा की व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील अक्षय कुमार बजा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा मिरानी के खाता सं० 418/395 के मु० न० 63 के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 64 के किला न० 3 ता 12, 19 ता 21, मु० न० 68 के किला न० 1, 10, 11, 20, मु० न० 69 के किला न० 3 ता 8, 9, 12, 13 ता 15, 16 ता 18, 19 कुल 9-61 प्लॉट्स के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड के पत्र है के स प्रतिवादी सं० 1 का नाम नरामपन किला जाकर वादी को 3/4 हिस्सा यात्रि कुल मुक्ति का 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 को 1/4 हिस्सा यात्रि कुल मुक्ति का 1/20 हिस्सा के खातदार का शान्कर वाचित किये जाते हैं मुक्ति प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष के ल्याग कर मु० न० कर लिखा है इसलिये ल्याग किये गये हिस्से पर पेजीशन विभागा का व मु० पेजीशन मुल्य एवं रकम मु० न० 2000 रुपये व यदि कृषि मुक्ति के हक है तो रकम मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड के अन्तर्गत दस्तावेज किला जावे/राजीनामा के डिक्री का माता फटा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (सिक्किर ए०)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा जिला हनुमानगढ़
 मिरानी